भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1706

बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर सेलों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना

1706. श्री तनुज पुनियाः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा जून, 2026 से स्थानीय रूप से उत्पादित सौर सेलों का उपयोग करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के अधिदेश के आलोक में प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए घरेलू विनिर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने में सहायता प्रदान करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) सरकार का सौर प्रकाशवोल्टीय (पीवी) मॉड्यूलों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना पर विचार करते हुए यह किस प्रकार सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से सौर ऊर्जा परियोजनाओं की लागत में कमी आएगी और आयात पर निर्भरता कम होगी?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) ऑल इंडिया सोलर इंडस्ट्रीज एसोसियेशन (AISIA) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत में वर्तमान में स्थापित सौर सेल विनिर्माण क्षमता 26.35 गीगावाट है। भारत सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) सौर सेलों की स्वदेशी विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार नीतियाँ ला रहा है। इसके अलावा, की गई विभिन्न पहलों में **अनुलग्नक-I** में उल्लिखित पहल भी शामिल हैं।

(ख) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के विनिर्माण को बढ़ावा देना और इस प्रकार सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए आयात निर्भरता को कम करना है। उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पीएलआई योजना के तहत, 48,337 मेगावाट की पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए आबंटन पत्र जारी किए गए हैं। उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत स्वीकृत विनिर्माण इकाइयां, चालू होने की वास्तविक तिथि या चालू होने की निर्धारित तिथि, जो भी पहले हो, से 5 वर्षों के लिए उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के विनिर्माण और बिक्री पर वार्षिक आधार पर पीएलआई प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, बशर्ते वे योजना के दिशा-निर्देशों/निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करें। जबकि यह योजना मॉड्यूल की दीर्घकालीन वहनीयता को प्रभावित कर सकती है, परंतु सौर पैनलों/मॉड्यूलों की कीमतें संबंधित सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माता कंपनियों द्वारा तय की जाती है, जो बाजार में एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं।

<u>अनुलग्नक-I</u>

'सौर सेलों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 30.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1706 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

सौर सेलों की स्वदेशी विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए की गई पहलों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) **उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** भारत सरकार ने 24,000 करोड़ रु. के परिव्यय से उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना कार्यान्वित कर रही है, ताकि उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों में गीगावाट स्तर की स्वेदशी विनिर्माण क्षमता हासिल की जा सके। . इस योजना के अंतर्गत, 48,337 मेगावाट की पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए आबंटन पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें सौर सेलों का विनिर्माण भी शामिल है।

(ii) **स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता (डीसीआर)**: एमएनआरई की कुछ वर्तमान योजनाएं के अंतर्गत, अर्थात् सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम घटक-ख और ग, तथा पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, जिसमें सरकारी सब्सिडी दी जाती है, के अंतर्गत घरेलू स्रोतों से सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों की खरीद करना अनिवार्य किया गया है।

(iii) **सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के आयात पर मूल सीमा शुल्क लगाना:** सरकार ने सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों और सौर ग्लास के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाया है।

(iv) **सौर सेलों और मॉड्यूलों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट**: सरकार ने सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के विनिर्माता के लिए दिनांक **23.07.2024** की अधिसूचना संख्या **30/2024-**सीमा शुल्क की सूची **41** में निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी है।

*****